सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 131/18 **निर्णय दिनांकः 18.07.2019**

1. भंवरलाल पुत्र रतीराम जाति बिश्नोई निवासी जयसिंहदेसर मगरा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. गीता पत्नी भंवरलाल जाति बिश्नोई निवासी जयसिंहदेसर मगरा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 21—02—2004 व दिनांक 13—04—2004
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः—

1. श्री हरिराम बिश्नोई , अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 21—02—2004 व 13—04—2004 जिसके द्वारा अपीलांट् को पूर्व में आबादी हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् द्वारा बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील कोलायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तमाम जॉच के उपरान्त भूमिहीन के बतौर भूमि आवंटन का पात्र मानते हुए आवंटन सलाहकार समिति की राय से चक 24 डीओबीबी के मुरब्बा नम्बर 235/54 में किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन की पुष्टि के उपरान्त आवंटन पट्टा भी को जारी कर दिया गया। जिसका अपीलांट को कब्जा नहीं मिला क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में ही आबादी के लिए प्रस्ताविक भूमि थी तथा नामान्तरणकरण संख्या 131 दिनांक 04—01—2011 के माध्यम से आबादी हेतु दर्ज हो चुकी है। इस कारण अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला ना ही रिकार्ड में अंकन हो सका। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आबादी हेतु आरक्षित भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बारम्बार उपस्थित होकर वादगत् भूमि पर कब्जा दिये जाने या उसकी एवज में अन्य भूमि आवंटन करने का कथन किया जाता रहा है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा न तो अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया ना ही अन्य भूमि का आवंटन किया गया है ऐसी स्थिति में ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट को दिनांक 21—02—2004 को वादगत् भूमि का आवंटन किया गया था। जिसके विरूद्व अपील दिनांक 22—05—2013 को प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही आबादी हेतु आरक्षित भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 21—02—2004 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 22—05—2013 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर उपनिवेशन तहसील कोलायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तमाम जॉच के उपरान्त आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट को चक 24 डीओबीबी के मुरब्बा नम्बर 235/54 किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन दिनांक 21—03—2004 को अपीलांट के पक्ष में किया गया था तो दिनांक

27—03—2006 को आबादी के लिए आवंटन तथा दिनांक 04—01—2011 को आबादी का नामान्तरणकरण स्वीकार करना नियम विरूद्व था।

आवंटन अधिकारी की लापरवाही के कारण दोहरा आवंटन हुआ। आवंटन अधिकारी का दायित्व है कि अपीलांट पूर्व आवंटी होने के कारण मूल आवंटन पर कब्जा दे या नये सिरे से आवंटन करें। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट के पूर्व आवंटन को आज दिनांक तक निरस्त नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलांट की पात्रत आज दिनांक तक कायम है। अपीलांट आवंटन के 14 वर्ष उपरान्त भी कब्जा अथवा अन्य भूमि का आवंटन नहीं करना अपीलांट के साथ अन्याय है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 21—02—2004 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को आवंटित भूमि पर कब्जा दे या समान श्रेणी की भूमि का अन्यत्र आवंटन करें।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 18—07—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर